न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या – 2/2022/प्रार्थना पत्र

उनवान

1. शांतिबाई पत्नि मांगीलाल जाति धाकड नि. सेमला तहसील सुनेल

– प्रार्थीया

बनाम

1. महेन्द्र कुमार उर्फ मधुसुदन शर्मा पि. बाबूलाल शर्मा नि. सेमला तहसील सुनेल
2. प्रवीण कुमार उर्फ लाला शर्मा पि. महेन्द्र कुमार शर्मा नि. सेमला तहसील सुनेल
3. जितेन्द्र कुमार शर्मा पि. महेन्द्र कुमार शर्मा नि. सेमला तहसील सुनेल
4. राजेश कुमार शर्मा पि. बाबूलाल शर्मा नि. सेमला तहसील सुनेल
5. धर्मेन्द्र कुमार शर्मा पि. बाबूलाल शर्मा नि. सेमला तहसील सुनेल
6. गीताबाई पत्नि धर्मेन्द्र कुमार शर्मा नि. सेमला तहसील सुनेल
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील प्रार्थीगण – श्री हुकुमचन्द कुमावत
वकील अप्रार्थीगण – श्री सुभाष दांगी

आदेश दिनांक : 29/03/2022

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने धारा 212 रा.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश निवेदन किया कि सेमला की जमाबंदी सं. 2074–77 के खाता सं. 435 की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 201 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है। प्रार्थिया ने उक्त आराजी खरीदकर हकांई जुताई के लिये प्रतिवर्ष 5000 रूपये में अप्रार्थी सं. 1 को दी थी। प्रार्थिया के खातेदारी, कब्जा काश्त की भूमि में अप्रार्थी सं. [illegible] परिवार के सदस्य प्रतिवर्ष फसल प्राप्त कर 5000 रूपये दिया करते थे [illegible] समाप्ति पर प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थीगण काश्त नहीं करते थे। अप्रार्थीगण जबरन ताकत के बल पर प्रार्थिया के खाते , कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन [illegible] बनाये रखना चाहते [illegible] अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.04.01 16:10:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

का वादग्रस्त आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। वादिनी का प्रथम दृष्टया ठोस प्रकरण है, सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में है। अप्रार्थीगण ताकत के बल पर प्रार्थिया को काश्त करने में रोक उत्पन्न कर रहे है जिससे अपरिमित क्षति होने की संभावना है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे ग्राम सेमला की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 201 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा अर्थात 0.3162 हेक्टर भूमि में बेजा मदाखलत व मजाहमत नहीं करे एवं प्रार्थिया के परिवार के सदस्यों को काश्त करने में अवरोध उत्पन्न नहीं करें। प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम सेमला की नकल जमाबंदी खाता सं. 435 की नकल व नक्शा ट्रेस , खसरा गिरदावरी की प्रति पेश की।

अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र को गलत एवं अस्वीकार किया तथा विशेष आपत्तियों में निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 6 गीताबाई , राधादेवी पत्नि राजेश कुमार , मनोरमा पत्नि महेन्द्रकुमार के नाम से खातेदारी भूमि ख.नं. 199 , 202 , 201 सभी हम अप्रार्थीगण की होने से मौके पर पूरा एक ही खेत है यानि तीनो ख.नं. के बीच कोई मेड नहीं है जिस पर 15 वर्षो से अप्रार्थीगण खातेदार की हैसियत से काबिज होकर काश्त करते व फसल लेते आ रहे है जिस कारण दावा धारा 188 रा.टी.एक्ट के तहत बिना कब्जे काश्त के चलने योग्य नहीं है एवं कब्जा प्राप्त करने की अवधि 12 वर्ष भी समाप्त हो चुकी है। दावा/प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है। अप्रार्थीगण ने वर्ष 2006 में वादिया व उसके पति मांगीलाल से 70000 रूपये में वादग्रस्त आराजी खरीद कर सम्पूर्ण बेचान की राशि मांगीलाल को अदा कर मौके पर कब्जा प्राप्त किया था। खरीद के समय उक्त भूमि कारूलाल पि. कंवरलाल प्रजापत के खाते दर्ज होने से वादिया व उसके पति मांगीलाल ने कहा कि खातेदार कारूलाल से उक्त भूमि हमारे खाते दर्ज होते ही भूमि को आप अप्रार्थीगण के नाम करवा देंगे अब बदनियति आने से यह झूंठा दावा/प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारीज योग्य है।

प्रार्थीगण की ओर से मांगीलाल , दिनेश कुमार , मांगीबाई , राधेश्याम , पप्पूलाल , दुर्गालाल , रा[illegible] पत्र पेश किये गये।

अप्रार्थीगण की ओर से [illegible] पि. [illegible]लाल पि. कारूलाल, लालचन्द पि. पवनगिरि [illegible] के शपथ पत्र एवं जमाबंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.04.01 16:10:49 IST
Reason: SelfAttested

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

स. 2073–76 के खाता सं. 305 , 223 की नकल , जमाबंदी सं. 2061–64 के खाता सं. 35 की नकल , नक्शा ट्रेस की प्रति पेश किये गये।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र , जवाब प्रार्थना पत्र , शपथ पत्र , राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह पाया कि ग्राम सेमला की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 201 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा अर्थात 0.3162 हेक्टर भूमि वादिया के तन्हा खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों में दोनो पक्ष अपने अपने कथन की पुष्टि करते है। अप्रार्थीगण की ओर से वादग्रस्त आराजी खरीद का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। वादग्रस्त आराजी का प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिस कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है। सुविधा का संतुलन एवं अपूरनीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थी की ही है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ता फैसला मूल वाद तक ग्राम सेमला की आराजी ख.नं. 201 रकबा 0.3162 हेक्टर भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)
पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.04.01 16:10:49 IST
Reason: SelfAttested